न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 408/2018

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. रामदेव सोनी पुत्र मांगीलाल जाति-सोनी, निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.23/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 30/10/2018

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा-सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 100/134 रकबा 05 बीघा की भूमि आई हुई है। नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की इस खातेदारी व हक सुदा भूमि के पूर्वी-उत्तरी तरफ गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। तथा अन्य दिशाओं में सिवाय चक भूमियां है। प्रार्थी अपनी इस खातेदारी सुदा भूमि के चारों तरफ पक्की चार दीवारी व तारबंदी करना चाहता है। लेकिन इस भूमि के नाप चौप व सीमाओं को लेकर अप्रार्थी के प्रतिनिधी पटवारी हल्का जैतारण द्वारा मौके पर विवाद किया जा रहा है। प्रार्थी मौके पर नाप चौप का निर्धारण करने हेतु सीमा चिह्न भी कायम नहीं है। इस वजह से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं का निर्धारण करने में भारी परेशानी हो रही है। इस वजह से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पेमाईश करवाकर सीमा चिह्नों का निर्धारण करवाते हुये पत्थरगढ़ी करवाना चाह रहा है। इस बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 04/07/2018 को मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने मौके पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढ़ी करवाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। व कहा कि इसके बाबत् उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण से आदेश करावे तब ही हम इस बाबत् मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढी करवायेगें तब ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान् के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी के सादर पेश है। प्रार्थी की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी की खसरा नम्बर 100/134 रकबा 05 बीघा खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100/134 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी, जवाब का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। लिहाजा विवादित आराजी का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–सोमावास, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 100/134 रकबा 05 बीघा का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/10/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner